न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :—श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 — 33/2022

अनवान : —

1. फतेहसिंह पुत्र जसुराम जाति मेघवाल निवासी भांगवा त0 भादरा।

—प्रार्थी

बनाम्

1. हरिओमशीला पुत्र महेन्द्र कुमार जाति मेघवाल निवासी साहुवाला त0 भादरा।
2. पंजाब नैशनल बैंक शाखा निनाण जिरये शाखा प्रबन्धक।
3. आरएमजीबी शाखा मलखेड़ा जरिये शाखा प्रबन्धक।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भादरा।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट

उपस्थिति :—श्री धर्मपाल बैरवानल प्रार्थी

श्री सतवीर बैनीवाल अप्रार्थीगण

निर्णय   दिनांक: 24/08/22

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 3 एमआरएन के खाता सं0 42/93 के मु0न0 26 के किला न0 9/2 , 10 ता 12, 19 ता 22 की कुल 1. 847है0 नहरी कृषि भूमि प्रार्थी फतेहसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थी के चिपते ही इसी चक में अप्रार्थी हरिओमशीला के नाम खाता सं0 105/72 के मु0न0 23 के किला न0 22, 23, 24/1, 24/2, मु0न0 26 के किला न0 2, 3, 4/1, 4/2, 7/1, 7/2, 8, 13 , 14/1, 14/2, 15, 16/1, 16/2, 17/1, 17/2, 18 की कुल 3.5420है0 जिसमें नहरी 3.4640है0 व गै0मु0 रास्ता 0.078है0 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

प्रार्थी के अपनी खातेदारी में आवागमन के लिए अन्य कोई रास्ता स्वीकृत नहीं है। प्रार्थी अपनी खातेदारी में जाने के लिए चक 3 एमआरएन के मु0न0 26 के किला न0 17 तक स्वीकृत शुदा रास्ता से जाता है व उससे आगे किला न0 17, 18 में दक्षिणी तरफ से पूर्व से पश्चिम की ओर अपनी खातेदारी भूमि के किला न0 19 में प्रवेश करता है। प्रार्थी अपनी खातेदारी में सदामत से इसी रास्ता से आवागमन करता है। लेकिन उक्त रास्ता का अंकन राजस्व रिकार्ड में नहीं है। अतः प्रार्थी उक्त रास्ता का अंकन राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 ने आपसी सहमती से राजीनामा प्रस्तुत किया । अप्रार्थी सं0 2 ता 4 को वकील वादी ने तर्क अंकित किया।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व) भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौरान बहस वकील प्रार्थी व अप्रार्थी ने मुताबिक राजीनामा प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण ने रोही मौजा चक 3 एमआरएन के खाता सं0 42/93 के मु0न0 26 के किला न0 9/2 , 10 ता 12, 19 ता 22 की कुल 1.847है0 नहरी कृषि भूमि प्रार्थी फतेहसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थी के चिपते ही इसी चक में अप्रार्थी हरिओमशीला के नाम खाता सं0 105/72 के मु0न0 23 के किला न0 22, 23, 24/1, 24/2, मु0न0 26 के किला न0 2, 3, 4/1, 4/2, 7/1, 7/2, 8, 13 , 14/1, 14/2, 15, 16/1, 16/2, 17/1, 17/2, 18 की कुल 3.5420है0 जिसमें नहरी 3.4640है0 व गै0मु0 रास्ता 0.078है0 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में प्रार्थी ने अपनी खातेदारी में प्रवेश के लिए अप्रार्थी की खातेदारी चक 3 एमआरएन के मु0न0 26 के किला न0 17, 18 में दक्षिणी तरफ में पूर्व से पश्चिम की ओर एक–एक बिस्वा रास्ता स्वीकार करने का निवेदन किया , जिसके बदले प्रार्थी ने अपनी खातेदारी से मु0न0 26 के किला न0 9, 12, 19 में पूर्वी तरफ से 2 बिस्वा कृषि भूमि अप्रार्थी क नाम करना राजीनामा में स्वीकार किया है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आरटीएक्ट उपरोक्त विवेचानुसार स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भादरा को आदेशित किया जाता है कि वे रोही मौजा चक 3 एमआरएन के खाता सं0 105/72 के मु0न0 26 के किला न0 17, 18 में से दक्षिणी तरफ प्रत्येक किला में पूर्व से पश्चिम की ओर एक–एक बिस्वा रास्ता का अंकन राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त करें। रास्ता की भूमि की एवज में प्रार्थी की खातेदारी चक 3 एमआरएन के खाता सं0 42/93 के मु0न0 26 के किला न0 9, 12, 19 से पूर्वी दिशा से 2 बिस्वा कृषि भूमि को अप्रार्थी हरिओमशीला के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज की जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कीया जावें।

निर्णय आज दिनांक 24/08/20 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुंतला चौधरी)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ